भाग- द्वितीय, पंचायती राज संस्थायें

अध्याय-प्रथम

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना-

सबसे निचले स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पहचान दिलाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसा नियम अधिकारों और शक्तियों के उचित स्तर पर पंचायतों को हस्तांतरण के लिये विर्निदिशिष्ट की जाये। निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिये उपबंध किये जा सकेगें-

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को, जो उन्हें सौंपी जाये, जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी है जो ग्यारहवीं अनुसूची[1] मे सूचीबद्व विषयों के संबंध में है, को क्रियान्वित करना।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के प्रावधानों के अनुसार राज्य का विधान मण्डल:-

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुये ऐसे कर, शुल्क,पथकर और फीसें विनियोजित और संग्रहित करने के लिये किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा।

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शर्त्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुये राज्य सरकार द्वारा उदग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को सौंपा जा सकेगा।

(ग) पंचायतों के लिये राज्य की संचित निधि से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिये उपबंध कर सकेगा।

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों को जमा करने के लिये ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों मे से धन का प्रत्याहरण करने के लिये भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किये जाये।

परिणामतः मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित की गई।

---

[1] संविधान के अनुच्छेद 243 जी एवं एच (73वाँ संविधान संशोधन) एक्ट,1992

- जिला स्तर पर जिला पंचायत
- ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

वर्तमान में राज्य में 50 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें, और 23006 ग्राम पंचायतें (नवंबर 2012) हैं।

मध्य प्रदेश राज्य की प्राथमिक जानकारी निम्नानुसार है

विवरण	इकाई	राज्य के आंकड़े	संपूर्ण भारत के आंकडे
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में भाग	प्रतिशत	6	-
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	5.25	83.31
ग्रामीण जनसंख्या का भाग	प्रतिशत	72	69
जनसंख्या का धनत्व	प्रतिवर्ग कि.मी.	236	382
साक्षरता दर	प्रतिशत	71	74
लिंग अनुपात (महिलायें प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	930/1000	940/1000

स्त्रोत- अनंतिम जनगणना 2011

1.2 प्रशासनिक व्यवस्थायें-

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अध्याय 3 के अनुसार राज्य सरकार की निगरानी के अधीन नियमों तथा अधिनियमों द्वारा प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करने हेतु सभी पंचायती राज संस्थायें स्वतंत्र कानूनी निकाय हैं। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कार्य संचालन हेतु संगठनात्मक संरचना नीचे दिया गया है-

संगठनात्मक संरचना

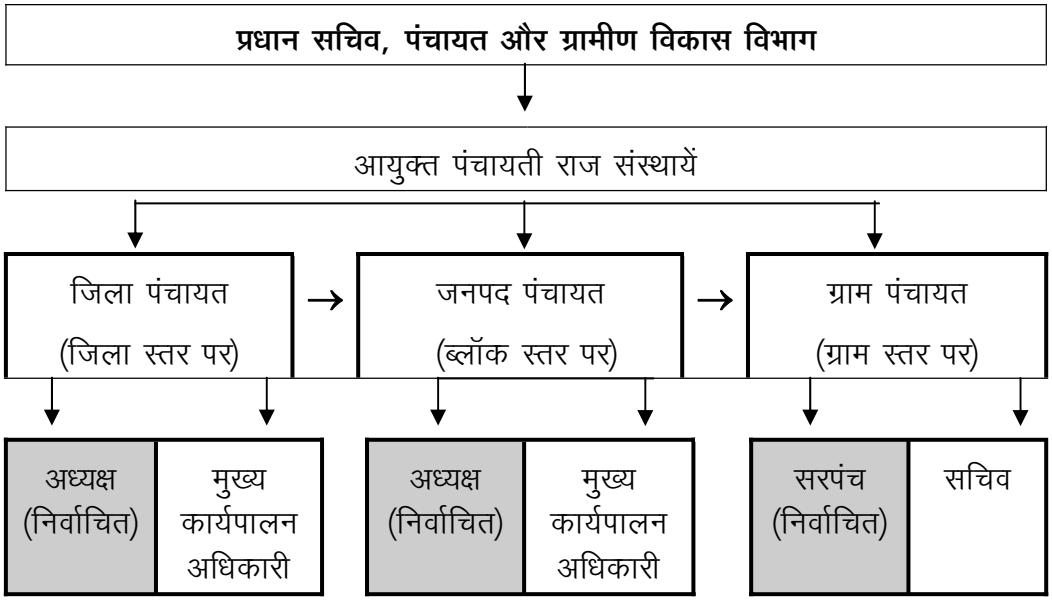

1.3 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ

स.क्र.	पंचायती राज संस्थाऐं	उत्तरदायित्व
1	जिला पंचायत	जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतो में समन्वय, मूल्यांकन और गतिविधियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन।
2	जनपद पंचायत	राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानांतरित किये गये विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्ट को ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित करना, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और प्रबंध करना आदि।
3	ग्राम पंचायत	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा कानून के तहत प्रदान किये गये प्रोजेक्ट कार्य और योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

जिला तथा जनपद पंचायत की स्थायी समितियाँ

अ) सामान्य प्रशासन समिति
ब) कृषि समिति
स) शिक्षा समिति
द) सम्प्रेषण और कार्य समिति
ई) सहयोग और औद्योगिक समिति

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ

अ) सामान्य प्रशासन समिति
ब) विनिर्माण एवं विकास समिति
स) शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति

1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र

राज्य की 23369 पंचायती राज संस्थाओं (50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत तथा 23006 ग्राम पंचायत) में से 1267 पंचायती राज संस्थाओं (47 जिला पंचायत, 185 जनपद पंचायत तथा 1035 ग्राम पंचायत) के अभिलेखों की जांच वर्ष 2011-12 के दौरान की गयी **(परिशिष्ट 1.1)**

1.5 लेखांकन व्यवस्था

1.5.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप् में लेखाओं का संधारण

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा स्थानीय निकायों के लेखों एवं बजट तैयार करने के लिये प्रारूप निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा किया है कि सभी राज्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये लेखांकन फेमवर्क और कोडीकरण पद्वति को मॉडल पंचायत लेखांकन प्रणाली के अनूरूप अप्रैल 2010 से अपनाया जाना था।

वर्ष 2011-12 में 47 जिला पंचायतों, 185 जनपद पंचायतों तथा 1035 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न स्तर की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप मे लेखे नहीं रखे गये।

इंगित किये जाने पर आयुक्त, पंचायती राज ने (अगस्त 2012) उत्तर दिया कि निर्धारित प्रारूप मे लेखों के संधारण हेतु निर्देश जारी किये गये थे (सितम्बर 2011) जिसके अनुसार लेखाओं का संधारण वर्ष 2011-12 से प्रक्रियाधीन है।

1.5.2 ग्राम पंचायतों के बजट तथा वार्षिक लेखे

मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के अनुसार पंचायत के सचिव द्वारा धारा 73 में विहित अनुसार बजट एवं वार्षिक लेखे तैयार किए जायेंगें। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत नियम (बजट अनुमान) 1997 के नियम 3,4 एवं 5 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जायेगा तथा उसे जनपद पंचायत से प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक अनुमोदित कराया जायेगा। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 1999 के नियम 63 एवं 64 मे प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा तैयार किया जायेगा तथा उसे सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु 15 मई को या इसके पूर्व रखा जायेगा।

वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वार्षिक बजट एवं लेखे उपरोक्त नियमानुसार तैयार नहीं किये गये।

1.5.3 जिला पंचायत नरसिंहपुर द्वारा वार्षिक बजट तैयार नहीं किया जाना।

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के अनुसार तथा मध्य प्रदेश जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 के नियम 12 तथा 13 के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत को प्रति वर्ष 10 जनवरी से पूर्व बजट अनुमान तैयार करना था तथा उसे जिला पंचायत की चुनी गयी परिषद से 20 जनवरी तक अनुमोदित कराकर 15 मार्च के पूर्व आयुक्त को अंतिम अनुमोदन हेतु प्रेषित करना था।

जिला पंचायत नरसिंहपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु बजट अनुमान तैयार कर जिला पंचायत की चयनित परिषद से अनुमोदित नहीं कराया गया। इस प्रकार जिला पंचायत नरसिंहपुर के प्राप्ति एवं व्यय निर्वाचित सदस्यों के संवैधानिक नियंत्रण से बाहर रहे।

जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 में ₹ 60.44 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 में ₹ 77.15 करोड़ का व्यय किया गया जो अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है। विवरण **(परिशिष्ट 1.2)** में दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर द्वारा उत्तर दिया गया कि (सितम्बर 2012) उपरोक्त अवधि के लिये बजट तैयार तथा अनुमोदित नहीं किये गये। भविष्य में बजट तैयार किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी का उत्तर उपरोक्त नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप नहीं था क्योंकि कोई भी व्यय किये जाने से पूर्व बजट तैयार कर अनुमोदित कराया जाना चाहिये।

1.6 लेखापरीक्षा व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की किये जाने वाले लेखा परीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया (नवंबर 2001)। तदनुसार वर्ष 2011-12 में 47 जिला पंचायतों, 185 जनपद पंचायतों तथा 1035 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा की गयी तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजे गये।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.121 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर) हेतु एक लेखा परीक्षा पद्वति का होना अनिवार्य था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रत्येक स्तर के सभी स्थानीय निकायों हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण आवश्यक रूप से सौंपा जाना चाहिये तथा उनकी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक/आयुक्त् स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आवश्यक रूप से राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना चाहिये। तदनुसार मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया।

1.7 राजस्व के स्त्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के मुख्यतः दो स्त्रोत है (I) शासकीय अनुदान और (II) स्वयं का राजस्व। पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व संसाधनों में कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित है। शासकीय अनुदानों में राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निधियाँ तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्व्यन हेतु राज्य तथा भारत सरकार का अंश आता है।

1.8 पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ और व्यय

राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से केन्द्रांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप पंचायती राज संस्थाओं के लिये आवंटित निधि (राज्य का कर राजस्व का हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि) का विवरण निम्नानुसार थाः

स. क्र.	वर्ष	अनुदान			वास्तविक व्यय			बचत	बचत का प्रतिशत
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2007-08	3221.86	3.04	3224.90	2996.51	3.03	2999.54	225.46	7
2.	2008-09	3985.44	2.04	3987.48	3125.25	0.03	3125.28	862.20	22
3.	2009-10	4942.02	7.02	4949.04	4038.20	5.01	4043.21	905.83	18
4.	2010-11	6585.74	231.40	6817.14	5678.75	198.65	5877.40	939.74	14
5.	2011-12	7670.04	241.08	7911.12	6697.87	365.29	7063.16	847.96	11

स्त्रोत- विस्तृत विनियोग लेखों से संकलित

उपरोक्त् तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-12 की अवधि में बचत सात से 22 प्रतिशत रहा।

सभी पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ एवं व्यय के ब्यौरे पंचायती राज संचालनालय स्तर पर संधारित नहीं किये गये।

इंगित किये जाने पर, आयुक्त् पंचायती राज ने (नवंबर 2012) उत्तर दिया कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों द्वारा संग्रहित किये गये करों की जानकारी संचालनालय स्तर पर उपलब्ध नहीं था। स्मरण पत्र (मई 2013) जारी किया गया, किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.9 राज्य वित्त आयोग के अनुदान का हस्तांतरण

संविधान के अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान संशोधन अधिनियम के जारी होने के एक वर्ष के अंदर करें और इसके पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष समाप्त होने पर पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करें और निधियों के हस्तांतरण हेतु राज्यपाल को अनुशंसा करें।

तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा फरवरी 2010 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी। तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार की पिछले वर्ष के विभाजनीय कोष[2] के चार प्रतिशत कर राजस्व पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राशि ₹195.28 करोड़ कम हस्तांतरित की गयी विवरण निम्नानुसार है-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार का विभाजनीय कोष	तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर हस्तान्तरण योग्य निधि	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित निधि	कम जारी
2010-11	13960.22	558.41	490.94	67.47
2011-12	17410.17	696.41	568.60	127.81
कुल	**31370.39**	**1254.82**	**1059.54**	**195.28**

स्त्रोत- वित्त् लेखे तथा आयुक्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी।

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा कम राशि कम जारी किये जाने के वास्तविक कारण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये(नवंबर 2012)। शासन को मई 2013 में अनुस्मरण पत्र जारी किया गया, उत्तर प्रतीक्षित है।

1.10 बैंक समाधान विवरण तैयार न करना

मध्य प्रदेश जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 25-26 के अनुसार रोकड़ बही और बैंक खातों के शेष राशि के अंतर का समाधान पत्रक प्रत्येक महीने तैयार किया जाना चाहिये।

[2] विभाजनीय कोष से आशय पूर्व वर्ष के कुल कर राजस्व मे से कर संग्रहण के लिये 10 प्रतिशत व्यय की राशि एवं नगरीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गये राजस्व को धटाया जाकर प्राप्त राशि से है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 16 पंचायती राज संस्थाओं[3] (सात जिला पंचायत तथा नौ जनपद पंचायत) की रोकड़ बही का शेष बैक खातों के शेष से ₹ 26.23 करोड़ कम था। यह भी पाया गया कि जिला पंचायत रीवा तथा तीन जनपद पंचायतों (केसला पेटलावाद तथा रामपुर नैकिन) में राशि ₹ 4.30 करोड़ रोकड़ बही की तुलना में बैंक खातों में कम थी। विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उपरोक्त पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया(सितम्बर तथा अक्टूबर 2012) कि भविष्य में बैंक समाधान पत्रक तैयार किया जायेगा।

उक्त पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के उत्तर उपरोक्त वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं था। अद्यतन स्थिति (मई 2013) चाही गई, उत्तर प्रतीक्षित है।

1.11 लेखा परीक्षा की लंबित कंडिकाओं की स्थिति

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी प्रकार करेगें जैसा कि वह उनके स्वयं के प्रतिवेदन के लिये करते हो।

प्रधान महालेखाकार के पंचायती राज संस्थाओं के पिछले पांच वर्षों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति नीचे दी गई है-

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	लंबित कंडिकाओं का प्रारंभिक शेष	वृद्धि	कंडिकाओं का निराकरण	शेष लंबित कंडिकायों की संख्या
1	2007-08	5853	3877	07	9723
2	2008-09	9723	1544	31	11236
3	2009-10	11236	1171	निरंक	12407
4	2010-11	12407	1621	465	13563
5	2011-12	13563	4926	1033	17456

स्त्रोत- सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-I का मासिक बकाया प्रतिवेदन

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से नियमित पत्राचार के बावजूद लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गयी। इस विषय में अद्यतन अप्रैल 2013 में पत्र लिखा गया।

1.12 भारत सरकार को त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(1) के अनुसार आवर्ती अनुदानों के संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही अगले वर्ष का अनुदान जारी किया जाना चाहिये। पूर्व वर्ष में जारी किये गये अनुदान के लेखा परीक्षित वार्षिक विवरण जिनसे संबंधित मंत्रालय/विभाग के संतुष्टि उपरांत ही अगले वित्तीय वर्ष के लिये स्वीकृत अनुदान की कुल राशि की 50 प्रतिशत से अधिक राशि जारी की जानी चाहिये।

आयुक्त, संचालक सामाजिक न्याय के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि पेंशन योजना के लिये वर्ष 2008-12 में जिला पंचायत को जारी किये गये अनुदान राशि

[3] मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद, बुरहानपुर, देवास, जबलपुर, कटनी, टीकमगढ़ तथा नरसिंहपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवास, पोहरी, जतारा, गुना, चाचौड़ा, खकनार, आरोन, जावरा तथा कन्नौद।

₹ 1477.14 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत से प्राप्त नहीं किये गये। आगे पाया गया कि आयुक्त् सामाजिक न्याय द्वारा जिला पंचायतों से पेंशन वितरण पर हुये वास्तविक व्यय की जानकारी को प्राप्त किये बिना जिला पंचायतों को जारी अनुदान के आधार पर ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार भेज दिए गये, विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012), आयुक्त सामाजिक न्याय द्वारा (अगस्त 2012) मे उत्तर दिया गया कि पेंशन वितरण के संबंध में भौतिक प्रमाण पत्र जिला पंचायतों से प्राप्त किया गया है। वित्तीय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे जिन्हें भविष्य में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आयुक्त का उत्तर उपरोक्त वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं था।

1.13 अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश जिला पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 52 तथा मध्य प्रदेश जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 49 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि जिस प्रयोजन हेतु अग्रिम प्राप्त किया गया है उसके पूरा होने के तुरंत तत्पश्चात व्यय का विवरण प्रस्तुत करे। प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उसके अगले माह के वेतन या देय राशि से अग्रिम की कुल राशि की वसूली की जायेगी।

नमूना जांच किये गये जिला पंचायत कटनी, रीवा तथा तीन जनपद पंचायतों[4] के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि 31 मार्च 2012 तक अस्थायी अग्रिम की राशि ₹ 19.42 लाख एक से ग्यारह वर्ष से वसूली हेतु लंबित थे विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है। यह राशि विद्यमान नियमों के अनुसार जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के लेखाओं में समायोजित नहीं की गयी।

इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उत्तर में कहा गया कि अग्रिमों का समायोजन शीध्र किया जायेगा। अद्यतन स्थिति चाही गई (मई 2013), उत्तर प्रतीक्षित रहा।

1.14 निष्कर्ष

- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक लेखे निर्धारित प्रारूप मे तैयार नहीं किये गये। (पैरा 1.5.1)
- पंचायती राज संस्थाओं के प्राप्ति एवं व्यय के लेखे पंचायती राज संचालनालय स्तर पर संकलित नहीं किये गये। (पैरा 1.8)
- राज्य सरकार द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निधियों का हस्तांतरण नहीं किया गया। (पैरा 1.9)
- ायुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु सक्रिय कार्यवाही नहीं की गयी। (पैरा 1.11)
- पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये अनुदान का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया। (पैरा 1.12)

[4] खकनार, बुरहानपुर एवं केसला